न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– 14/2024 **GCMS 2024/24**

वादीगणः–

1. मूल सिंह पुत्र शंकर सिंह
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति समस्त रावणा राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन
3. ओम सिंह सोलंकी पुत्र मदन सिंह
4. कल्याण सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत
5. निरंजन सिंह सोलंकी पुत्र मदन सिंह
6. रघुवीर सिंह पुत्र मदन सिंह
7. शंकुतला देवी पुत्री मदन सिंह जाति समस्त रावणा राजपूत निवासी नदबई भरतपुर तहसील भरतपुर हाल निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी
8. बिमला देवी पुत्री शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी
9. बसंत कंवर चौहान पुत्री शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर तहसील जोधपुर हाल निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी
10. पुजा पुत्री भंवरी दोहित्री शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी
11. निर्मला कंवर पुत्री भंवरी दोहित्री शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत हाल निवासी जनकपुरी कॉलोनी, जामडोली जयपुर तहसील जयपुर
12. मंजु कंवर पुत्री भंवरी दोहित्री पुत्री शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी
13. प्रेम देवी पत्नी शेराराम पुत्रवधु शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी
14. संतोष कंवर पुत्री शेराराम पौत्री शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी हाल पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी
15. सुमन कंवर पुत्री शेराराम पौत्री शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी झालरा मार्ग कुचामन हाल निवासी पलड़ा तहसील कुचामन सिटी
16. किरण कंवर पुत्री शेराराम पौत्री शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी खुरी छोटी सीकर तहसील सीकर जिला सीकर हाल पुलाड़ा तहसील कुचामन सिटी
17. श्याम सिंह सोलंकी पुत्र शेराराम पौत्र शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

18. महावीर पुत्र शेंराराम पौत्र शंकर सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीः—

1. राजस्थान सरकारी जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामन सिटी

वाद पत्र अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह प्रार्थीगण की ओर से।
राज. पैराकार उपस्थित।

—:निर्णय :—

दिनांक :— 09/05/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि वादीगण पिछड़ी जाति के सदस्य है, जिनकी जाति दरोगा की उपजाति सोलंकी जिसका रावणा राजपूत की जाति से जाना पहचाना जाता है। जिसका सजरा खानदान निम्नवत् है :—

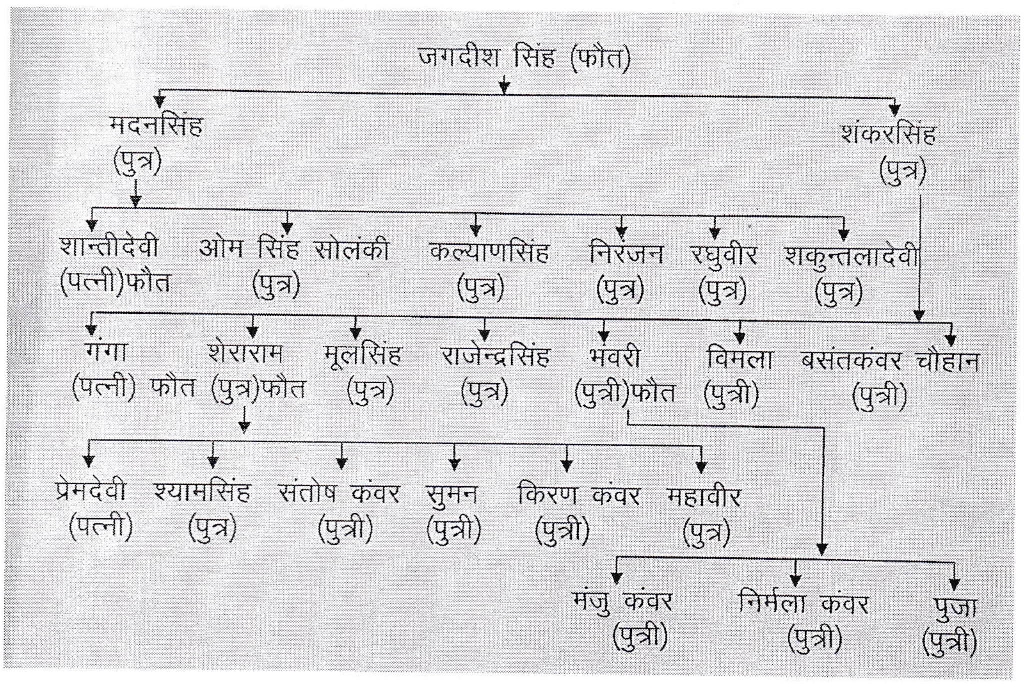

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 84 रकबा 8 बीघा, जिसके हाल भू—प्रबंध के नये खसरा

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

नम्बर 222 रकबा 1.3000 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम पड़े है, नकल खतौनी गत व हाल तथा मिलान क्षेत्रफल वादपत्र के साथ पेश है। राजस्व ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 89 रकबा 8 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वज शंकर सिंह, मदन सिंह पिसरान जगदीश सिंह सोलंकी साकिन देह खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी में वदीगण के पूर्वज शंकर सिंह, मदन सिंह पिसरान जगदीश सिंह की जाति गलती से दरोगा के बजाय वादीगण की गौत्र सोलंकी दर्ज चली आ रही थी, जिसको हाल भू–प्रबंध में वादीगण के पूर्वजो जाति जो गलती से सोलंकी दर्ज थी, उसको पुनः गलती से राजपूत दर्ज कर दी गई, जबकि वादीगण व वादीगण के पूर्वजों की जाति दरोगा है, जो अब जाति दारोगा को सम्मानजनक रावणा राजपूत जाति के नाम से जाना–पहचाना जाता है। वादीगण की जाति रावणा राजपूत है, परंतु हाल भू–प्रबंध में वादीगण के पूर्वजों की जाति राजस्व रेकर्ड में रावणा राजपूत के बजाय गलती से राजपूत दर्ज चली आ रही है। वादीगणों के पहचान पत्र आदि दस्तोज एवं समुदाय आदि में रावणा राजपूत की जाति से जाना–पहचाना जाता है। राजस्व ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 1.3000 हैक्टयर भूमि की खातेदारी में वादीगणों के पूर्वज शंकर सिंह मदन सिंह पिसरान जगदीश सिंह की जाति गलती से रावणा राजपूत के बजाय राजपूत दर्ज होने से वादीगणों के पूर्व शंकर सिंह , मदन सिंह जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके स्थान पर वादीगणों के नाम जरिए वारिसान फौतगी नामान्तरण दर्ज नहीं होने से वादीगण अपनी कृषि भूमि की खातेदारी से वंचित रह रहे है। जिससे वादीगण अपनी कृषि भूमि के संबंध में मिलने वाली आर्थिक सहायता किसान निधि एवं सब्सिडी तथा ऋण आदि प्राप्त करने से वंचित रह रहे है। वादीगण राजस्व जमाबंदी में उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी में अपने मृतक पूर्वज शंकर सिंह, मदन सिंह पिसरान जगदीश सिंह की जाति राजपूत के बजाय रावणा राजपूत दर्ज करवाना चाहते है ताकि जरिए फौतगी [illegible] भूमि की खातेदारी वादीगणों के नाम दर्ज हो सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunit Kumar
Date: 2025.07.08 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व राजपैरोकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया।

वकील वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाह हरिराम, राजेन्द्र सिंह, मूल सिंह, श्याम सिंह, पेफ सिंह के शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पलाड़ा के खाता संख्या नया 217 की नकल जमाबंदी संवत 2073–2076, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, भू–प्रबंध जमाबंदी नकल संवत 2008 से 2028, भू–प्रबंध जमाबंदी संवत 2046 से 2065, श्याम सिंह सोलंकी के अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति, कल्याण सिंह के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति, राजेन्द्र सिंह अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति, वादीगण के आधार कार्ड की फोटो प्रतियां, शेराराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति, गंगा के मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति, शांति के मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपने पूर्वजों की जाति राजपूत के बजाय रावणा राजपूत दर्ज करवाना चाहते है। जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड व शपथ पत्र इत्यादि से होती है। अतः वाद काबिल स्वीकार योग्य पाया गया। वाद वादी स्वीकार निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है :–

–:आदेश :–

ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 1.3000 हैक्टयर के खातेदारी में वादीगण के पूर्वज खातेदार शंकर सिंह, मदन सिंह पिसरान जगदीश सिंह की दर्ज जाति राजपूत के स्थान पर संशोधन कर जाति रावणा राजपूत दर्ज की जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार-I)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)